

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कंचन सिंह पति श्री राजीव कुमार

ग्राम विष्णुपुर रोड पो. कुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा विष्णुपुर
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 250
4. खाता न० 02 (2/5)
5. प्लॉट न० 35
6. रकबा 4.03 ई
7. भूमि का किस्म रैपती
8. अधतन रसिद न० 046 6170 792 / 2022-2023
9. दा० खारिज वाद संख्या 4930 / 2022-2023

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

कंचन सिंह

290
11/04/23

विश्वासभाजन

कंचन सिंह

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...169...../2023

आवेदिका कंचन सिंह पति श्री राजीव कुमार, साकिन-विशुनपुर रोड, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
विशुनपुर	250	02	35	4.03 डी०	बकास्त

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...1.8./04...../2023 को प्रस्तुत करें।

11/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-विशुनपुर, थाना नं०-250, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-35, रकवा-4.03 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-78 भाग संख्या-10 पर कंचन सिंह पति श्री राजीव कुमार के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-4930/2022-23 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। शपथ पत्र संख्या-171 दिनांक 27.03.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-विशुनपुर, थाना नं०-250, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-35, रकवा-4.03 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

11.04.2023

16.04.2023